27

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर,

III/निगरानी/रीवा/भू.रा/2017/4584

1- श्री दीपेन्द्र कुमार तनय श्री राजेन्द्र प्रसाद ब्रा0,उम्र-34 साल,

2- श्री जितेन्द्र कुमार तनय श्री राजेन्द्र प्रसाद ब्रा0,उम्र-31 साल,

3- श्री राघवेन्द्र कुमार तनय श्री राजेन्द्र प्रसाद ब्रा0,उम्र-29 साल,

4- श्री शिवेन्द्र कुमार तनय श्री राजेन्द्र प्रसाद ब्रा0,उम्र-24 साल,

सभी का पेशा-खेती, सभी निवासी ग्राम-पन्नी, तह०-मऊगंज

जिला-रीवा (म०प्र०) ------------------ आवेदकगण

दि० 23-11-17 को श्री प्रस० के० चतुर्वेदी अभि० द्वारा प्रस्तुत। 23.11.17 SO

दि० 14-12-17

N.F. 14.12.17 (S.Khatri)

बनाम्

श्री राजेन्द्र प्रसाद तनय श्री रामभुवन ब्रा0, उम्र-55 साल, पेशा

खेती व नौकरी, निवासी ग्राम-पन्नी, तहसील-मऊगंज, जिला

रीवा (म०प्र०) -------------------- अनावेदक गण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील-मऊगंज के प्रकरण क्र० 23/अ-27/16x17 मे दिनांक-26.9.17 को पारित किया गया है । अंतर्गत धारा-50 म०प्र०भू०रा०सं०-1959 ई० ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-----

1/:- यह कि, निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय का अविधिक अवैध व त्रुटि पूर्ण होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है ।

2/:- यह कि, आवेदकगणो ने ग्राम-पन्नी मे स्थित भूमि

(S.Khatri)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

प्रकरण क्रमांक दो—निगरानी / रीवा / भू.रा. / 2017 / 4594

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.चतुर्वेदी एंव अनावेदक की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी अभिभाषक ने पक्षकारों के बीच हुये राजीनामा आवेदन को प्रस्तुत कर, राजीनामे के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने की मांग रखी है। राजीनामा आवेदन, निगरानी मेमो के तथ्यों एंव अनुविभागीय अधिकारी मउगंज के प्रकरण कमांक 23 अ 27/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-9-17 का अवलोकन किया गया। 2/ अनुविभागीय अधिकारी मउगंज के आदेश दिनांक 26-9-17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम पन्नी स्थित भूमि खसरा नंबर 1470/ 2784/1 रकबा 0.697 का राजेन्द्र प्रसाद भूमिस्वामी है जिसने रकबा 0.501 स्वयं के हित में रखते हुये प्रत्येक अपीलांट पुत्र को 0.49 आरे हिस्से में देते हुये तहसीलदार मउगंज के न्यायालय से प्रकरण कमांक 69 अ 27/15-16 में पारित आदेश दिनांक 12-1-16 से बटवारा कराया है एंव तहसीलदार मउगंज ने आदेश दिनांक 12-1-16 से बटवारा स्वीकृत किया है किन्तु भूमि की स्थिति यह है कि उक्तांकित भूमि राष्ट्रीय राज्य मार्ग/ फोरलेन रोड़ निर्माण से प्रभावित हो चुकी है जिसे अंश रकबा 0.453 हैक्टर भूमि का मुआवजा प्रतिकर राशि	

का अवार्ड भूमिस्वामी पहले ही प्राप्त कर चुका है एंव शेष रकबा 0.244 है. भूमि राष्ट्रीय राज्य मार्ग/ फोरलेन रोड़ निर्माण से प्रभावित होने पर पुनः 3 ए का प्रकाशन कराया गया है जिसके कारण पूर्ण रकबा अर्थात रकबा 0.697 हैक्टर राष्ट्रीय राज्य मार्ग/ फोरलेन सड़क निर्माण में जा चुका है और जब किसी प्रकार का रकबा शेष नहीं रहा है इस तथ्य के तहसीलदार के संज्ञान में आने पर उन्होंने धोखे से कराये गये बटवारा आदेश दिनांक 12-1-16 को पुर्न–आदेश दिनांक 6-2-16 से निरस्त किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी मउगंज ने प्रकरण क्रमांक 23 अ 27/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-9-17 से दोनों पक्षों व्दारा उनके समक्ष प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार न करते हुये अपील निरस्त की है। फलस्वरूप पक्षकार राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में उक्त को दोहराते हुये राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामे के आधार पर तहसीलदार के बटवारा आदेश दिनांक 12-1-16 को यथावत् कराना चाहते हैं जो संभव नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजीनामा आवेदन अमान्य करते हुये निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य